शैक्षणिक परिषद् की दिनांक 23.12.1994 की बैठक में मद संख्या 19 के अन्तर्गत गठित स्थायी समिति की आपातकालीन बैठक दिनांक 06.03.2017 को अपराहन 2.30 बजे हुई बैठक की कार्यवाही।

...

शैक्षणिक परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.03.2017 को अपराहन 2.30 बजे आचार्य (श्रीमती) गिरिजा शर्मा, अधिष्ठाता अध्ययन एवं संयोजक की अध्यक्षता में समिति कक्ष, कुलपति कार्यालय में आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थेः–

1. आचार्य, एम.एस.चौहान, अधिष्ठाता, योजना व शिक्षक मामले।
2. आचार्य, (श्रीमती) सरस्वती भल्ला, अधिष्ठाता, भाषा संकाय।
3. आचार्य, एस.एस.कंवर अधिष्ठाता, जीव विज्ञान संकाय।
4. आचार्य, हिम चर्टजी, अधिष्ठाता, मंच एवं दृश्यकला संकाय।
5. आचार्य, (श्रीमती), नीरज शर्मा, अधिष्ठाता प्रौद्योगिकी एवं यांत्रिकी संकाय।
6. आचार्य, एस. के. शर्मा, अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय।
7. आचार्य, डी.के. शर्मा, अधिष्ठाता, भौतिकी संकाय।
8. आचार्य, कमलजीत सिंह, अधिष्ठाता, विधि संकाय।
9. आचार्य, आर.पी.शर्मा, गणित विभाग, हि.प्र.वि.वि. शिमला।
10. आचार्य, डी.सी.गौतम, जीव विज्ञान विभाग, हि.प्र.वि.वि. शिमला।

अध्यक्ष, शैक्षणिक परिषद् की स्थायी समिति ने सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी सम्मानीय सदस्यों का अभिनन्दन किया और इस बैठक में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु धन्यवाद करते हुए, सहायक कुलसचिव (शै.) को स्थायी समिति के समक्ष मदों को प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया । तत्पश्चात् समिति ने निम्न मदों पर विस्तारपूर्वक चर्चा के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय पारित किए गए।

मद संख्या 1 वित्त समिति की दिनांक 18.02.2015 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

...

शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 18.02.2015 को मद संख्या 6 में लिए गए निर्णय तथा वाणिज्य एवं प्रबन्धन संकाय की बैठक दिनांक 13.03.2015 की मद संख्या 6 के अन्तर्गत की गई संस्तुति के अनुसार पूर्ण प्रकरण पर सलंग्नकों का अवलोकन कर विस्तारपूर्वक चर्चा की और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के व्यवसायिक अध्ययन महाविद्यालय में बी.बी.ए. कोर्स हेतु स्वंय पोषित निधि के अन्तर्गत अनुबन्ध आधार पर छः सहायक आचार्य के पदों को सृजित करने को अपना अनुमोदन प्रदान किया तथा निदेशक महोदय को उक्त मामले को वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की सिफारिश की। इसके अतिरिक्त स्थायी समिति द्वारा वाणिज्य एवं प्रबन्धन संकाय की मद संख्या 7 की संस्तुतिनुसार सत्र 2016–17 से बी.बी.ए. कोर्स के शुल्क को रू. 18,000/– प्रतिवर्ष से 25,000/–प्रतिवर्ष करने पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या 2 वित्त समिति की दिनांक 18.02.2015 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

...

शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 18.02.2015 को मद संख्या 6 में लिए गए निर्णय तथा भौतिकी विज्ञान संकाय की बैठक दिनांक 23.02.2017 की मद संख्या 2 के अन्तर्गत की गई संस्तुति के अनुसार पूर्ण प्रकरण पर सलंग्नकों का अवलोकन कर विस्तारपूर्वक चर्चा की और हिमाचल प्रदेश

उप–कुलसचिव (शैक्षणिक)
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
शिमला – 171005

विश्वविद्यालय के व्यवसायिक अध्ययन महाविद्यालय में बी.सी..ए. कोर्स हेतु स्वंय पोषित निधि के अन्तर्गत अनुबन्ध आधार पर 5 सहायक आचार्य के पदों को सृजित करने को अपना अनुमोदन प्रदान किया तथा निदेशक महोदय को उक्त मामले को वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की सिफारिश की। इसके अतिरिक्त गैर शिक्षक वर्ग के पदों के सृजन बारे मामले को सामान्य प्रशासन शाखा से आगामी कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु प्रस्तुत करे।

मद संख्या 3 शैक्षणिक परिषद के समक्ष सत्र 2017–18 में प्रवेश/अवकाश/शैक्षणिक व परीक्षाओं की अनुसूची अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाती है।

...

शैक्षणिक परिषद के समस्त सदस्यों ने सत्र 2017–18 की प्रवेश/अवकाश/शैक्षणिक व परीक्षाओं की अनुसूची को संलग्नको के अनुसार इस शर्त पर अपना अनुमोदन प्रदान किया कि उक्त अनुसूची को परीक्षा नियंत्रक महोदय से अवलोकित करवा कर अध्यक्ष, शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति के अनुमोदन उपरान्त अधिष्ठाता अध्ययन के कार्यालय द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

यथा स्थान प्रस्तुत मदें:

मद संख्या 1: योगा विभाग की Board of Studies(PG) बैठक दिनांक 03.03.2017 व संकाय की बैठक दिनांक 06.03.2017 की सिफारिशों को शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

...

शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति ने सामाजिक विज्ञान संकाय की बैठक दिनांक 06.03.2017 में पाठय समिति की बैठक दिनांक 03.03.2017 की मद संख्या 1 में की गई सिफारिशों के अनुसार प्रस्तावित योगा विभाग में आचार्य के एक पद के सृजन को अपना अनुमोदन प्रदान किया व विभागाध्यक्ष को प्रस्तावित मामले को वित्त समिति के समक्ष रखने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त समिति ने एम.ए. योगा स्टडीज व डिप्लोमा इन योगा स्टडीज में पेपर पैर्टन (Paper pattern) को सलंग्नकों के अनुसार अपना अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या 2 Approval of revised split of marks of "Environment Science" course listed in the syllabi of UG(CBCS) RUSA degree courses offered under Faculty of Life Sciences.

शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति ने जीव विज्ञान संकाय की बैठक दिनांक 04.03.2017 में मद संख्या 1 के अर्न्तगत प्रस्तावित revised split of marks of "Environment Science" course सम्बन्धी मामले में विस्तारपूर्वक चर्चा उपरान्त उक्त मामले को संलग्नकों सहित सत्र 2016–17 से लागू करने हेतु अपना अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या 3: अधिष्ठाता समिति के समक्ष सुश्री पूजा शर्मा, अनुकमांक 79719 एम.ए. हिन्दी द्वितीय सत्र में जून 2011, तृतीय सत्र नवम्बर 2011, चतुर्थ सत्र जून 2012 व प्रथम सत्र नवम्बर 2012 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पत्राचार में प्रवेश करने हेतु प्रस्तुत है।

अधिष्ठाता अध्ययन द्वारा उपरोक्त मामले को अधिष्ठाता समिति की बैठक दिनांक 26.10.2016 की मद संख्या 2 के निर्णय का अवलोकन करने उपरान्त प्रस्तावित मामले को शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति के समक्ष रखनें हेतु आदेशित किया जिस पर समिति ने परीक्षा शाखा–II द्वारा प्रस्तावित सुश्री पूजा शर्मा को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पत्राचार निदेशालय में एम.ए. हिन्दी विषय में प्रवेश प्रदान करने सम्बन्धी मामले पर विस्तारपूर्वक चर्चा की और सर्वसम्मति से उक्त छात्रा के भविष्य को मददेनजर रखते हुए एम.ए.हिन्दी विषय में पूर्वव्यापी तिथि (Retrospectively) जून 2011 से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पत्राचार निदेशालय में निर्धारित शुल्क अदा करने की शर्त के साथ प्रवेश प्रदान करने को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

उप–कुलसचिव (शैक्षणिक)
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
शिमला–171005

मद संख्या 4: कार्यकारी प्रधानाचार्य, एम.सी.एम. डी.ए.वी. महाविद्यालय, कांगडा का बी.सी.ए. कक्षा में आयु सीमा में छूट सम्बन्धी निवेदन अधिष्ठाता अध्ययन के आदेशानुसार शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत किया।

...

शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति ने इस मामले में यह निर्णय लिया कि शैक्षणिक शाखा इस मामले का नियमानुसार पूर्ण परीक्षण करे तथा माननीय कुलपति महोदय को इस मामले में निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया।

मद संख्या 5: भौतिकी विज्ञान संकाय की सिफारिशें दिनांक 23.02.2017 की बैठक जोकि पताका क, कम संख्या 1,2,3 तथा 4 पर अनुमोदित की गई है को शैक्षणिक परिषद के समक्ष विचार एवं अनुमोदन हेतु ।

...

शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति ने भौतिकी विज्ञान संकाय की बैठक दिनांक 23.02.2017 में मद संख्या 1,3 तथा 4 में प्रस्तावित की गई सिफारिशों का सलग्नकों सहित अवलोकन किया व सम्बन्धित मामले को अपना अनुमोदन प्रदान किया। इसके अतिरिक्त मद संख्या 2 में बी.सी.ए. विषय में सहायक आचार्य के स्वंय पोषित निधि के अर्न्तगत पदों सृजन मामले को पहले ही मद संख्या 2 उपरोक्त में अनुमोदित कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त भौतिकी विज्ञान संकाय की बैठक दिनांक 23.02.2017 की मद संख्या 5 से 7 के सम्बन्ध में शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त मामले में समिति ने पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 15.12.2016 में छठे सत्र के लिए माईनर कोर्स व मार्क्स स्कीम हेतु लिए गए निर्णय के अनुसार कार्रवाई करने हेतु आग्रह किया।

अन्त में अध्यक्ष ने सभी सम्माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त कर बैठक का समापन किया।

हेमराज शर्मा 14/03/2017
(डॉ. हेम राज शर्मा.)
सहायक कुलसचिव (शै.)

पुष्टिकरण

Girija Sharma 14.3.17
अधिष्ठाता अध्ययन

अनुमोदित

माननीय कुलपति महोदय

उप-कुलसचिव (शैक्षणिक)
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय,
शिमला - 171005

शैक्षणिक परिषद् की दिनांक 23.12.1994 की बैठक में मद संख्या 19 के अन्तर्गत गठित शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति की आपातकालीन बैठक दिनांक 03.06.2017 को अपराहन 2.30 बजे की कार्यवाही।

...

शैक्षणिक परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 03.06.2017 को अपराहन 2.30 बजे आचार्य (श्रीमती) गिरिजा शर्मा, अधिष्ठाता अध्ययन एवं संयोजक की अध्यक्षता में समिति कक्ष, कुलपति कार्यालय में आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:–

1. आचार्य, (श्रीमती), सुषमा शर्मा अधिष्ठाता, जीव विज्ञान संकाय।
2. आचार्य, हिम चर्टजी, अधिष्ठाता, मंच एवं दृश्यकला संकाय।
3. आचार्य, (श्रीमती), नीरज शर्मा, अधिष्ठाता प्रौद्योगिकी एवं यांत्रिकी संकाय।
4. आचार्य, डी.के. शर्मा, अधिष्ठाता, भौतिकी संकाय।
5. आचार्य, कमलजीत सिंह, अधिष्ठाता, विधि संकाय।
6. आचार्य, आर.पी.शर्मा, गणित विभाग, हि.प्र.वि.वि. शिमला।
7. आचार्य, डी.सी.गौतम, जीव विज्ञान विभाग, हि.प्र.वि.वि. शिमला।

अध्यक्ष, शैक्षणिक परिषद् की स्थायी समिति ने सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी सम्मानीय सदस्यों का अभिनन्दन किया और इस बैठक में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु धन्यवाद करते हुए अनुभाग अधिकारी (शै.) को स्थायी समिति के समक्ष मदों को प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया । तत्पश्चात् समिति ने निम्न मदों पर विस्तारपूर्वक चर्चा के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गए।

मद संख्या 1: श्री सुमित कपिल सुपुत्र श्री केशव कुमार अनुक्रमांक 13680 को द्वितीय, चतुर्थ एवं छठे समेस्टर के एक एक पेपर की परीक्षा देने के लिए विशेष अवसर प्रदान करने बारे मामला शैक्षणिक परिषद की स्थाई समिति के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

....

शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति ने श्री सुमित कपिल सुपुत्र श्री केशव कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन व सलंग्नकों को अवलोकित कर पूर्ण मामले में विस्तारपूर्वक चर्चा उपरान्त उक्त विद्यार्थी की चिकित्सीय स्थिति (Medical Condition) के आधार पर बी.टैक. के द्वितीय, चतुर्थ एवं छठे समेस्टर के एक एक पेपर की परीक्षा देने के लिए विशेष अवसर प्रदान करने बारे अपना अनुमोदन प्रदान किया व इस सम्बन्ध में प्रार्थी को जून 2017 में उपरोक्त समेस्टरों की परीक्षा में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु तीनों समैस्टरों के लिए रू. 20000/– शुल्क विश्वविद्यालय कोष में जमा करवाना होगा।

मद संख्या 2: शैक्षणिक परिषद/शैक्षणिक परिषद की स्थाई समिति के समक्ष आर्युविज्ञान विभाग में बी.एस.सी. इन मेडिकल टेक्नोलोजी रिनल डायलिसिज टेक्नोलोजी को नेफरोलाजी विभाग में शैक्षणिक सत्र 2017–18 से शुरू करने बारे अपना अनुमोदन प्रदान करने हेतु।

....

शैक्षणिक परिषद की स्थाई समिति ने आर्युविज्ञांन विभाग की पाठय समिति व संकाय समिति की बैठक दिनांक 06.04.2017 में की गई संस्तुति अनुसार पूर्ण मामले पर चर्चा कर प्रस्तावित पाठयक्रम बी.एस.सी. इन मेडिकल टेक्नोलोजी रिनल डायलिसिज टेक्नोलोजी को सलग्नकों सहित सत्र 2017–18 से नेफरोलाजी विभाग में प्रारम्भ करने हेतु अपना अनुमोदन प्रदान किया।

उप-कुलसचिव (शैक्षणिक)
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय

मद संख्या 3: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विधि संकाय यू0आई0एल0एस0 चौडा मैदान में स्थित संस्थान में रिक्त पडी सह आचार्य विधि की दो सीटों को सहायक आचार्य विधि तीन सीटों में अनुबंध आधार पर परिवर्तित करनें के अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ शैक्षणिक परिषद (Standing Committee) के समक्ष प्रस्तुत।

....

यथा प्रस्तावित अनुमोदित तथा वित्त समिति (Finance Committee) के समक्ष प्रस्तुत करने की सिफारिश की।

मद संख्या 4: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विधि संकाय के अर्न्तगत विश्वविद्यालय के दूरवर्ती शिक्षा केन्द्र (ICDEOL) में प्रस्तावित मानवाधिकार डिप्लोमा पाठयक्रम सत्र 2017–18 के लिए तैयार एक वर्षीय पाठयक्रम के अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ शैक्षणिक परिषद (Standing Committee) के समक्ष प्रस्तुत।

....

शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विधि संकाय के अर्न्तगत विश्वविद्यालय के दूरवर्ती शिक्षा केन्द्र (ICDEOL) में सत्र 2017–18 से मानवाधिकार डिप्लोमा प्रारम्भ करने हेतु पाठयक्रम को सलग्नकों सहित अनुमोदित किया।

मद संख्या 5: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विधि संकाय के विधि विभाग में सत्र 2017–18 के लिए संशोधित एल0एल0बी0 तीन वर्षीय पाठयक्रम को अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ शैक्षणिक परिषद (Standing Committee) के समक्ष प्रस्तुत।

शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विधि संकाय के विधि विभाग में सत्र 2017–18 के लिए संशोधित एल0एल0बी0 तीन वर्षीय पाठयक्रम को सलग्नकों सहित अनुमोदित किया।

मद संख्या 6: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विधि संकाय के यू0आई0एल0एस0 चौडा मैदान में स्थित संस्थान में सत्र 2017–18 के लिए संशोधित बी0ए0एल0एल0बी0 पांच वर्षीय के पाठयक्रम को अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ शैक्षणिक परिषद (Standing Committee) के समक्ष प्रस्तुत।

....

शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विधि संकाय के यू0आई0एल0एस0 चौडा मैदान में स्थित संस्थान में सत्र 2017–18 के लिए संशोधित बी0ए0एल0एल0बी0 पांच वर्षीय के पाठयक्रम को सलग्नकों सहित अनुमोदित किया।

यथा स्थान प्रस्तुत मदें:

मद संख्या 1: बी.बी.ए. विभाग की अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 29.04.2017 तथा संकाय समिति की बैठक दिनांक 01.06.2017 में प्रस्तावित बी.बी.ए. के IIIrd समैस्टर से VIth समैस्टर तक के पाठयक्रमों को शैक्षणिक परिषद की स्थाई समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ समक्ष प्रस्तुत।

उप-कुलसचिव (शैक्षणिक)
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
शिमला- 171005

....

शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति ने बी.बी.ए. विभाग की अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 29.04.2017 तथा संकाय समिति की बैठक दिनांक 01.06.2017 में प्रस्तावित बी.बी.ए. के IIIrd समैस्टर से VIth समैस्टर तक के पाठयक्रमों को सलग्नकों सहित अनुमोदित किया।

मद संख्या 2: भाषा संकाय की 24.04.2017 एवं 03.06.2017 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्य –विवरण को शैक्षणिक परिषद की स्थाई समिति की बैठक में चर्चा एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

....

शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति ने भाषा संकाय की 24.04.2017 एवं 03.06.2017 में प्रस्तावित कमाकों **क** से **च** तक संलग्नकों सहित अपना अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या 3: शैक्षणिक परिषद की स्थाई समिति के समक्ष अधिष्ठाता, मंच एवं दृश्य कला संकाय विभाग की बैठक दिनांक 27.05.2017मे प्रस्तावित मद संख्या 1 व 2 में की गई सिफारिशें शैक्षणिक परिषद के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

....

शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति ने मंच एवं दृश्य कला संकाय विभाग की बैठक दिनांक 27.05.2017 में प्रस्तावित मद संख्या 1 व 2 में प्रस्तावित पाठयक्रमों को सलंग्नको सहित अनुमोदित कर सत्र 2017–18 से लागू करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

इसके अतिरिक्त अधिष्ठाता अध्ययन महोदय ने समिति के समक्ष हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अन्तर्राष्ट्रीय छात्र कल्याण कार्यालय द्वारा विदेशी छात्रों के लिए अंग्रेजी दक्षता कोर्स (English Proficiency Course) को सत्र 2017–18 से प्रारम्भ करने हेतु मामले को प्रस्तुत किया जिस पर समिति द्वारा विस्तारपूर्वक चर्चा की गई और सर्वसम्मति से मामले को संलग्नकों सहित अनुमोदन प्रदान किया।

Sd/-
(डॉ. नन्तराम चौहान.)
अनुभाग अधिकारी (शै.)

पुष्टिकरण

Sd/-
अधिष्ठाता अध्ययन

अनुमोदित

Sd/-
माननीय कुलपति महोदय

उप-कुलसचिव (शैक्षणिक)
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय

अकादमिक परिषद् की 68वीं नियमित बैठक दिनांक 03.08.2017 को पूर्वाह्न 11.00 बजे अध्यक्ष महोदय आचार्य, राजेन्द्र सिंह चौहान, कुलपति, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में कुलपति कार्यालय के समिति कक्ष में हुई जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित थे :–

क्रमांक	सदस्य का नाम	
1.	आचार्य आर.एस.चौहान, माननीय कुलपति , हि.प्र.वि.वि. शिमला–5	अध्यक्ष
2.	आचार्य (श्रीमती) कौशल्या चौहान, अधिष्ठाता, भाषा संकाय, हि.प्र.वि.वि. शिमला–5	सदस्य
3.	आचार्य हिम चैर्टजी, अधिष्ठाता, परफॉरमिंग एंड विज्यूल आर्टस संकाय, हि.प्र.वि.वि. शिमला–5	सदस्य
4.	आचार्य एस.एस.चौहान, अधिष्ठाता, सामाजिक विज्ञान संकाय, हि.प्र.वि.वि. शिमला–5	सदस्य
5.	आचार्य , (श्रीमती) सुषमा शर्मा, अधिष्ठाता, जीव विज्ञान संकाय, हि.प्र.वि.वि. शिमला–5	सदस्य
6.	आचार्य डी.के.शर्मा , अधिष्ठाता, भौतिकी संकाय, हि.प्र.वि. शिमला–5	सदस्य
7.	आचार्य (श्रीमती) सुदर्शना राणा, अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय, हि.प्र.वि. शिमला–5.	सदस्य
8.	आचार्य कमलजीत सिंह, अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्ष, विधि संकाय, हि.प्र.वि.वि. शिमला–5	सदस्य
9.	आचार्य कुलवंत सिंह पठानियां, अधिष्ठाता, वाणिज्य एंव प्रबन्धन संकाय, हि.प्र.वि.वि. शिमला–5	सदस्य
10.	आचार्य वाई.के.शर्मा, अधिष्ठाता आर्युवेद एवं हौम्योपैथी संकाय, पपरोला, जिला कांगडा, (हि.प्र.)	सदस्य
11.	आचार्य (श्रीमती) नीरज शर्मा, अधिष्ठाता, इंजीनियरिंग एवं टैक्नौलजी संकाय, हि.प्र.वि. शिमला–5	सदस्य
12.	डॉ. (श्रीमती) रंजना भान, विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग हि.प्र.वि.वि. शिमला–5.	सदस्य
13	डॉ. (श्रीमती) संजना शमशेरी, विभागाध्यक्ष, अग्रेजी हि.प्र.वि.वि. शिमला–5.	सदस्य
14.	आचार्य श्यामा जोशी, विभागाध्यक्ष, विदेशी भाषा, हि.प्र.वि.वि. शिमला–5.	सदस्य
15.	डॉ. डी.डी. शर्मा, विभागाध्यक्ष, भूगोल हि.प्र.वि.वि. शिमला–5.	सदस्य
16.	डॉ.बाल कृष्ण शिवराम, विभागाध्यक्ष, इतिहास हि.प्र.वि.वि. शिमला–5.	सदस्य
17.	आचार्य एस.एल. कौशल विभागाध्यक्ष, एच.पी.यू.बी.एस हि.प्र.वि.वि. शिमला–5.	सदस्य
18.	श्री विकास डोगरा, विभागाध्यक्ष, पत्रकारिता हि.प्र.वि.वि. शिमला–5.	सदस्य
19.	आचार्य शशीकांत, विभागाध्यक्ष, लाइफ लोंग लरनिंग हि.प्र.वि.वि. शिमला–5.	सदस्य
20.	आचार्य राजेश शर्मा, विभागाध्यक्ष, गणित हि.प्र.वि.वि. शिमला–5.	सदस्य
21.	आचार्य जीतराम, विभागाध्यक्ष, संगीत हि.प्र.वि.वि. शिमला–5.	सदस्य
22.	आचार्य नैनजीत सिंह, विभागाध्यक्ष, रसायन हि.प्र.वि.वि. शिमला–5.	सदस्य
23.	आचार्य अरविंद कालिया, कम्पयूटर सांइस विभाग हि.प्र.वि.वि. शिमला–5.	सदस्य
24.	श्री वी.एस. नेगी, (सह आचार्य) भोटी विभाग, हि.प्र.वि.वि. शिमला– 5.	सदस्य

उप-कुलसचिव (शैक्षणिक)
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय

25.	डॉ. (श्रीमती) रेखा शर्मा (सह आचार्य) अग्रेजी विभाग, हि.प्र.वि.वि. शिमला–5.	सदस्य
26.	श्री जवाहर ठाकुर (सह आचार्य) कम्पयूटर सांइस विभाग हि.प्र.वि.वि. शिमला–5.	सदस्य
27.	डॉ. अश्वनी राणा (सह आचार्य) अग्रेजी विभाग हि.प्र.वि.वि. शिमला–5.	सदस्य
28.	डॉ. (श्रीमती) शक्ति कपूर (सहायक आचार्य) विदेशी भाषा विभाग हि.प्र.वि.वि. शिमला–5.	सदस्य
29.	डॉ. प्रेम लता चन्द्र (सहायक आचार्य) विदेशी भाषा विभाग हि.प्र.वि.वि. शिमला–5.	सदस्य
30.	डॉ. राजेन्द्र वर्मा (सहायक आचार्य) विधि विभाग हि.प्र.वि.वि. शिमला–5.	सदस्य
31.	श्री कुजदीप बंता, राजकीय महाविद्यालय शाहपुर, जिला कांगडा (हि.प्र.)	सदस्य
32.	श्रीमती, दीक्षा मलहोत्रा, राजकीय महाविद्यालय संजौली, जिला शिमला (हि.प्र.)	सदस्य
33.	श्री राकेश भारद्वाज, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय जुखाला, जिला बिलासपुर (हि.प्र.)	सदस्य
34.	श्री अशोक शर्मा, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय धर्मपुर, जिला मण्डी (हि.प्र.)	सदस्य
35.	आचार्य (श्रीमती) गिरिजा शर्मा अधिष्ठाता अध्ययन हि.प्र.वि.वि. शिमला–5. (विशेष अतिथि)	सदस्य
36.	डॉ. पंकज ललित, कुलसचिव हि.प्र.वि.वि. शिमला–5.	सदस्य सचिव

माननीय कुलपति महोदय जी का वक्तव्य

शैक्षणिक परिषद की वर्ष 2017 की नियमित प्रथम बैठक में आप सभी सम्मानीय सदस्यों का स्वागत करता हूँ। इससे पूर्व वर्ष 2016 की नियमित बैठक जोकि 25 फरवरी 2016 को निर्धारित की गई थी जिसकी कार्रवाही रिर्पोट मद संख्या 2 तथा उसके उपरान्त शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति की नियमित बैठकों का समय समय पर आयोजन किया गया जिसके अन्तर्गत समिति की संस्तुतिनुसार सभी बैठकों की कार्रवाई रिपोर्ट वर्तमान बैठक में मद संख्या 3 के अन्तर्गत प्रस्तुत की जा रही है।

मैं शैक्षणिक परिषद में पूर्व माननीय कुलपति आचार्य ए.डी. एन. वाजपेयी जी के कार्य काल में शैक्षणिक परिषद की समय समय पर आयोजित बैठको में लिए गये निर्णयों व दिये गए अमूल्य योगदान पर आभार व्यक्त करता हू तथा विश्वविद्यालय को "ए" ग्रेड प्रदान करने बारे उनका तथा सभी शिक्षक/गैर शिक्षक वर्ग तथा छात्रों का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।

मैं शैक्षणिक परिषद में डा. पंकज ललित, (हि.प्र.से.) सदस्य सचिव तथा सभी नए अधिष्ठाताओ, विभागाध्यक्षो, विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचायों एवं अन्य सभी सदस्यों का इस बैठक में हार्दिक अभिनन्दन/स्वागत करता हूँ तथा पूर्व सदस्यों जिनका कार्यकाल सदस्य के रूप में पूर्ण हो चुका है उनका शैक्षणिक परिषद में दिए गए योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

उप-कुलसचिव (शैक्षणिक)
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
शिमला - 171005

मै सम्मानीय सदस्यों को यह भी अवगत करवाना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय में पिछली शैक्षणिक परिषद की बैठक और इस बैठक की अवधि के अन्तराल में शैक्षणिक विस्तार को बढाते हुए कई अर्न्तराष्ट्रीय एंव राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन, संगोष्ठियां, व कार्यशालाएं आयोजित की गई।

अब मैं कुलसचिव महोदय, सदस्य सचिव को कार्यसूची को परिषद के सम्मुख प्रस्तुत करने का आग्रह करता हूँ।

.

मद संख्या 2:– शैक्षणिक परिषद् की दिनांक 25.02.2016 को हुई नियमित बैठक में लिए गए निर्णयों की कार्रवाई रिपोर्ट परिषद् के समक्ष नोट करने हेतु प्रस्तुत है।

....

शैक्षणिक परिषद के समक्ष उक्त मद के अनुसार दिनांक 25.02.2016 को आयोजित की गई नियमित बैठक की कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिस पर माननीय सदस्य श्री विकास डोगरा विभागाध्यक्ष, पत्रकारिता विभाग ने परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया कि पिछली बैठक की मद संख्या 6 के अर्न्तगत लिए गए निर्णय के सन्दर्भ में 5 माननीय सदस्यों ने हस्ताक्षरित रूप में पत्र द्वारा असहमति प्रकट की थी जिसमें प्रस्तुत किया गया था कि सम्बन्धित मद में लिए गए निर्णय की सही रिर्काडिंग नहीं की गई है मामले पर उन्होंने जानना चाहा कि उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है। इस पर कुलसचिव महोदय ने सदन को बताया कि उक्त पत्र को शैक्षणिक शाखा की नस्ति पर तत्कालीन कुलपति महोदय को प्रस्तुत किया गया था परन्तु यह नस्ति उसके बाद कुलसचिव कार्यालय/शैक्षणिक कार्यालय को लौट कर नही आई जिस कारण उक्त पत्र पर कोई कार्यवाही नही हुई। इस विषय पर शैक्षणिक परिषद द्वारा गहन चर्चा की गई और अध्यक्ष, शैक्षणिक परिषद माननीय कुलपति महोदय जी ने परिषद को अवगत करवाया कि जो भी निर्णय दिनांक 25.02.2016 में मद संख्या में 6 के अर्न्तगत लिया गया था उसकी रिर्काडिंग पूर्ण रूप से सही की गई है और यदि इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को कोई आपत्ति है तो वे अपनी असहमति (dissent) लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तदानुसार इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य द्वारा लिखित रूप में दी गई असहमति (dissent) Annexure "क" (पृष्ठ 1 से 3) पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त शैक्षणिक परिषद के समस्त सदस्यों ने पिछली बैठक दिनांक 25.02.2016 में अन्य मदों के अर्न्तगत लिए निर्णयों के अनुसार की गई कार्रवाई को नोट कर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

उप – कुलसचिव (शैक्षणिक)
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
शिमला – 171005

-1- Annexure "क"

Department of Journalism & Mass Communication
Himachal Pradesh University, Shimla

1547
08.08.17

4434
05/8/17

ikas Dogra
man

o.: 1-2/88-HPU (J)- Dated: 03 August 2017

To

Registrar,
Member (Secretary)
Academic Council
Himachal Pradesh University, Shimla – 171005

Subject: Dissent note with reference to item no.2 presented in the meeting of Academic Council 03.08.2017 for recording the proceedings

Dear Sir,

This is with reference to item no. 2 "शैक्षणिक परिषद की दिनांक 25.02.2016 को हुई नियमित बैठक में लिए गए निर्णयों की कार्यवाई रिपोर्ट परिषद के समक्ष नोट करने हेतु प्रस्तुत है ।" presented in the meeting of Academic Council held on 3rd August 2017 in the Committee Room of the Vice Chancellor office.

As you are aware that the undersigned has raised a serious issue regarding faulty recording of the decision of the Academic Council on item no. 6 "एकीकृत हिमालयन अध्ययन में कार्यस्त शोध कर्मचारियों के पदनाम को **शिक्षक** अथवा गैर शिक्षक कर्मचारियों की श्रेणी में वर्गीकृत करने बारे मामला शैक्षणिक परिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है ।" in the meeting of the Council in its meeting held on 25.02.2016. Therefore, it is hereby stated again that:

i. The original decision of the Council was misquoted in the proceedings circulated after the meeting to given undue benefit to certain employees of the University.
ii. A representation in protest of the misrepresentation of facts and the decisions taken in the meeting, and their false recording in the proceedings of the meeting was signed by at least six members present in the meeting on 25.02.2016 and was submitted to your office (copy enclosed). No Action Taken Report has been presented in this regard.
iii. In the meeting held on 03.08.2017 it was agreed that the Action Taken Report along with the official proceedings held in the complaint against faulty recording of the proceedings will be made available to the members of the Council.
iv. In the meeting held on 03.08.2017 it was also agreed that my dissent to the approval of to item no. 2 "शैक्षणिक परिषद की दिनांक 25.02.2016 को हुई नियमित बैठक में लिए

5/8/2017 08/08/2017

SO(AC) D-A-C Meeting member

उप - कुलसचिव (शैक्षणिक)
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
शिमला - 171005

गए निर्णयों की कार्यवाई रिपोर्ट परिषद के समक्ष नोट करने हेतु प्रस्तुत है ।" will be recorded in the proceedings of the latest meeting on the grounds mentioned above.

Therefore you are requested to kindly:

1. Make available at the earliest the action-taken report along with the detailed official proceedings in the matter of the complaint against faulty recording of the proceedings of the Academic Council meeting held on 25.02.2016.
2. Record my dissent in the proceedings of the latest AC meeting that item no.2 "शैक्षणिक परिषद की दिनांक 25.02.2016 को हुई नियमित बैठक में लिए गए निर्णयों की कार्यवाई रिपोर्ट परिषद के समक्ष नोट करने हेतु प्रस्तुत है ।" was presented for noting by the members of Academic Council in the meeting on 03.08.2016 without presenting a conclusive report on the allegation of misrepresentation of the facts of the decisions of Academic Council on 25.02.2016 on the concerned agenda, along with the fact that the undersigned raised the issue and requested for not confirming the proceedings of the AC meeting on 25.02.2016 till the matter is conclusively resolved.

I shall be highly obliged.

Thanking you,

Yours sincerely,

(Vikas Dogra)
Chairman
Department of Journalism and Mass Communication
Himachal Pradesh University, Shimla

Enclosed: Copy of the representation in protest against incorrect recording of the decision taken in the meeting of Academic Council on 25.02.2016.

(Vikas Dogra)

उप-कुलसचिव (शैक्षणिक)
हिमाचल प्रदे...
शिमला - ...

To

The Registrar,
H.P. University, Shimla-5

Sub:- Rectification with regard to the recording of the decision of item number 6.

Sir,

This is with reference to the proceeding of the Meeting of the Academic Council held on 25-02-2016.In this connection, it is submitted that the decision for the item number 6 of the agenda has not been recorded correctly as per the decision in the meeting. In the meeting it was decided that

" The qualifications of the incumbents i.e. Senior research officers, research officers and project officers will be examined before putting them into the category of teachers, whether they possess the qualifications for the post of **teachers** or not."

As per the recording in the proceedings of the meeting of the Academic Council, the qualifications will be checked on the date of appointment as Senior Research Officers, Research Officers and Project Officers, which are not relevant for teaching positions. So qualifications should be checked for teaching positions as per actual discussion and decision of Academic Council as reported in above para.

It may be stated that there is already a judgment by the Hon'ble Supreme Court of India [Judgment 1998 (1) SCR 470: appeal (civil) 13707-09 of 1996, dated 3Feb 1998] in the case of Research Associates, in which Hon'ble Supreme Court has directed that "... in future such situation should not be brought in : for taking such decisions at the cost of recognised regular selection of teachers"

In the light of above, you are therefore requested to get the decision of the above said item in the proceedings to be properly recorded and corrected with the approval of the Chairman of the Academic Council /Hon'ble VC by issuing a corrigendum.

Thanking You,

Yours Sincerely,

Members of Academic Council

उप - कुलसचिव (शैक्षणिक)
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
शिमला - 171005

मद संख्या 3:- शैक्षणिक परिषद् के समक्ष कमशः दिनांक 09.12.2015, 02.07.2016, 05.07.2016, 01.08.2016, 06.09.2016, 15.12.2016, 06.03.2017 व 03.06.2017 को शैक्षणिक परिषद् स्थायी समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों/संस्तुतियों की कार्रवाई रिपोर्ट नोट करने हेतु प्रस्तुत है।

....

शैक्षणिक परिषद के सभी सदस्यों ने दिनांक 09.12.2015, 02.07.2016, 05.07.2016, 01.08.2016, 06.09.2016, 15.12.2016, 06.03.2017 व 03.06.2017 को शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति की नियमित बैठकों में विभिन्न मदों के अन्तर्गत लिए गए निर्णयों/संस्तुतियों की कार्रवाई को नोट कर अनुमोदित किया।

मद संख्या 4 :- राजीव गांधी राजकीय आयुर्वेदिक स्नातकोतर महाविद्यालय पपरोला से प्राप्त बी.ए.एम.एस. कोर्स से सम्बन्धित अध्यादेश के अध्याय 14. A-4 में संशोधन का मामला शैक्षणिक परिषद की बैठक के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

....

शैक्षणिक परिषद ने अध्यादेश के अध्याय 14. A-4 में पाठय समित व संकाय की संस्तुतिनुसार प्रस्तावित संशोधनों पर अधिष्ठाता, आर्युवेद संकाय द्वारा प्रस्तुत मामले में परिषद को अवगत करवाया कि प्रस्तावित अध्यादेश के संशोधन 14. A-4 के अतिरिक्त अन्य संशोधन जोकि इस मद में अंकित नहीं किए गए हैं और जिनका विवरण सलंग्नकों में दर्शाया गया है उन्हें भी इस मद में शामिल किया जाए जिस पर शैक्षणिक परिषद ने अपना अनुमोदन प्रदान किया तदोपरान्त मामले मे विस्तारपूर्वक चर्चा की गई और अध्यादेश के अध्याय 14.A-I(b), 14.A-3, 14.A-I4, 14.A-I5(A) तथा 14.A-I5(B) में प्रस्तावित संशोधनों को सलंग्नको के अनुसार अपना अनुमोदन प्रदान किया व पूर्ण मामले को कार्यकारिणी परिषद के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदन प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 5:- राजीव गांधी राजकीय आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय पपरोला से प्राप्त एम.डी./एम.एस. (आयुर्वेद) कोर्स से सम्बन्धित अध्यादेश के अध्याय 14. A-16 में संशोधन का मामला शैक्षणिक परिषद् की बैठक के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

....

शैक्षणिक परिषद ने अध्यादेश के अध्याय 14. A-16 में पाठय समित व संकाय की संस्तुतिनुसार प्रस्तावित संशोधनों पर अधिष्ठाता, आर्युवेद संकाय द्वारा प्रस्तुत मामले में परिषद को अवगत करवाया कि प्रस्तावित अध्यादेश के संशोधन 14. A-16 के अतिरिक्त

उप-कुलसचिव (शैक्षणिक)
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय

अन्य संशोधन जोकि इस मद में अंकित नहीं किए गए हैं और जिनका विवरण सलंग्नकों में दर्शाया गया है उन्हें भी इस मद में शामिल किया जाए जिस पर शैक्षणिक परिषद ने अपना अनुमोदन प्रदान किया तदोपरान्त मामले मे विस्तारपूर्वक चर्चा की गई और अध्यादेश के अध्याय 14.A-I5(B), 14.A-I7, 14.A-I9, 14.A-21, 14.A-22 14.A-23 तथा 14.A-23(i) में प्रस्तावित संशोधनों को संलग्नको के अनुसार अपना अनुमोदन प्रदान किया व पूर्ण मामले को कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदन प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 6:– To place before the Academic Council the recommendations of the committee constituted to formulate Guidelines and procedure to deal with any instance of use of fake Schedules Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward classes Certificate to get admission in the H.P.University/ Colleges affiliated to/ maintained by the H.P.University for its consideration and decision.

....

शैक्षणिक परिषद ने माननीय कुलपति महोदय जी द्वारा गठित समिति की दिनांक 16.05.2017 की बैठक में की गई सिफारिशों जोकि अधिष्ठाता अध्ययन कार्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई का संलग्नकों के अनुसार विस्तारपूर्वक अवलोकन कर मामले में चर्चा उपरान्त सम्बन्धित मामले को अपना अनुमोदन प्रदान किया। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि अधिष्ठाता अध्ययन विश्वविद्यालय स्तर पर समस्त शिक्षण विभागों व शैक्षणिक शाखा समस्त सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के जाली प्रमाणपत्रों के आधार प्रवेश लेने सम्बन्धी प्रस्तावित दिशा निर्देशों के अनुसार आगामी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

मद संख्या 7:– एकीकृत हिमालयन अध्ययन संस्थान में कार्यरत शोध अधिकारियों के पदनाम को सहायक आचार्य पदनाम में परिवर्तित करने का मामला शैक्षणिक परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत है।

......

शैक्षणिक परिषद ने एकीकृत हिमालयन अध्ययन संस्थान में कार्यरत शोध अधिकारियों के पदनाम को सहायक आचार्य पदनाम में परिवर्तित करने सम्बन्धी मामले में गहनतापूर्वक चर्चा की और सर्वसम्मति से उक्त मामले को आस्थगित (deferred) करने का निर्णय लिया तथा यह भी निर्णय लिया कि इस मामले को पूर्ण तथ्यों व नियमानुसार परीक्षण कर पुनः अकादमिक परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

उप-कुलसचिव (शैक्षणिक)
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
शिमला-171005

मद संख्या 8:– शिक्षा संकाय की बैठक दिनांक 13.06.2017 में अनुमोदित पाठयक्रमों M.Phil. Education, Post Graduate Diploma in Guidance & Counselling (PGDGC) Post Graduate Diploma in Adult Education (PGDAE) एवं B.A. (Regular) with Education को शैक्षणिक परिषद् की बैठक के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

....

शैक्षणिक परिषद ने शिक्षा संकाय की बैठक दिनांक 13.06.2017 में प्रस्तावित M.Phil. Education, Post Graduate Diploma in Guidance & Counselling (PGDGC) Post Graduate Diploma in Adult Education (PGDAE) के संशोधित पाठयक्रमों व स्नातक स्तर B.A. (Regular) with Education के नए पाठयक्रम को सत्र 2017–18 से लागू करने को सलंग्नकों अनुसार अपना अनुमोदन प्रदान किया।

<u>अनुपूरक मदें:–</u>

मद संख्या 1:– शिक्षा विभाग संकाय की बैठक दिनांक 13.06.2017 को मद संख्या 4, 6 एवं 7 के अन्तर्गत ली गई संस्तुतियों (Annexure 1,2 and 3) को शैक्षणिक परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

....

शैक्षणिक परिषद द्वारा शिक्षा विभाग संकाय की बैठक दिनांक 13.06.2017 को मद संख्या 4, 6 एवं 7 के अन्तर्गत ली गई संस्तुतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया व चर्चा उपरान्त प्रस्तावित मामले को सलंग्नकों सहित अपना अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या 2:– शैक्षणिक परिषद के समक्ष स्नातक स्तर के तृतीय से छठे सत्र के अधिसूचित पाठयक्रमों **(पताका "क" एवं "ख")** तथा बी.बी.ए. पाठयक्रम के कोर्स 503(c) एवं 603(c) में मार्क्स संशोधन **(पताका "ग")** को माननीय कुलपति महोदय जी के अनुमोदन उपरान्त शैक्षणिक शाखा द्वारा अधिसूचित कर लिया गया निर्णय परिषद के समक्ष सूचनार्थ एवं नोट करने हेतु प्रस्तुत है।

......

शैक्षणिक परिषद ने शैक्षणिक शाखा द्वारा उपरोक्त मामले में पाठयसमिति व संकाय समिति की सिफारिशानुसार माननीय कुलपति महोदय जी से अनुमोदित होने के उपरान्त की गई कार्रवाई को अपना अनुमोदन प्रदान कर नोट किया।

मद संख्या 3:– पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग स्नातक स्तर के अध्ययन समिति द्वारा लिए गए निर्णय जो कि सामाजिक संकाय द्वारा अनुमोदित है। अकादमिक समिति के अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु।

....

उप-कुलसचिव (शैक्षणिक)
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
शिमला

शैक्षणिक परिषद ने सामाजिक विज्ञान संकाय की मद संख्या 1 में प्रस्तावित सिफारिशानुसार पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग स्नातक स्तर की सत्र 2016–17 की मार्क्स स्कीम 20:50:30 एवं 70:30 को सलंग्नकों सहित अपना अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या 4:– शैक्षणिक परिषद की स्थाई समिति की बैठक में विद्यार्थी मीनु शर्मा परीक्षा अनुक्रमांक–86223 स्नातकोतर अंग्रेजी की छात्रा को आगामी होने वाली परीक्षा में बैठने हेतु प्रस्ताव।

......

शैक्षणिक परिषद ने मीनु शर्मा परीक्षा अनुक्रमांक–86223 स्नातकोतर अंग्रेजी की छात्रा को बचे हुए एक पेपर की परीक्षा में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु एक विशेष अवसर के साथ स्नातोकतर की आगामी होने वाली परीक्षाओं में सर्वसम्मति से प्रदान किया और इस प्रकार के मामलों में भविष्य में निर्णय लेने हेतु माननीय कुलपति महोदय जी को प्राधिकृत किया।

मद संख्या 5:– शैक्षणिक परिषद के समक्ष B.Sc-Biotech के IV sem में धर्मशाला कॉलेज के सत्र 2016 के छात्रों को Hobby Course भारतीय संस्कृति code BASKT 0105 को पाठयक्रम मे सम्मिलित करने हेतु मामला।

......

उपरोक्त विषय में शैक्षणिक परिषद ने एक मुश्त छूट देते हुए अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया कि सम्बन्धित मामले में पाठय समिति व संकाय का अनुमोदन लेना अनिवार्य है।

मद संख्या 6:– ऐड–होक बोर्ड ऑफ स्टडीज यू.जी. और पी.जी. दवारा पारित B.Lib.I.Sc. व M.Lib. I.Sc. का पाठयक्रम अवलोकनार्थ शैक्षणिक परिषद के समक्ष प्रस्तुत है।

......

शैक्षणिक परिषद ने लोक प्रशासन विभाग की बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक 08.09.2016 व संकाय समिति की बैठक दिनांक 12.07.2017 की सिफारिशानुसार प्रस्तावित पाठयकम B.Lib.I.Sc. को Through ICDEOL एवं M.Lib. I.Sc. को Through PG Centre में संत्र 2017–18 से शुरू करने पर संलग्नकों के अनुसार अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या 7:– शैक्षणिक परिषद के सम्मुख हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बच्चों के लिये विभिन्न पाठयकमों में प्रवेश के लिये आरक्षित सीटों पर फीस में 50 प्रतिशत छूट देने बारे विचारार्थ प्रस्तुत।

......

उप-कुलसचिव (शैक्षणिक)
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
शिमला - 171005

शैक्षणिक परिषद ने उक्त मामलें में विस्तारपूर्वक चर्चा की तथा इससे विश्वविद्यालय पर पडने वाले वित्तीय प्रभाव के दृष्टिगत इसे वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की सिफारिश की।

मद संख्या 8:– मनोविज्ञान विभाग स्नातक स्तर पाठयक्रम की अध्ययन समिति द्वारा लिए निर्णय जो कि सामाजिक विज्ञान द्वारा अनुमोदित है, अकादमिक समिति के अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु।

....

शैक्षणिक परिषद ने सामाजिक विज्ञान संकाय की मद संख्या 1 में मनोविज्ञान विभाग स्नातक स्तर पाठयक्रम के प्रस्तावित मार्क्स स्कीम को 40:30:30 के स्थान पर 50:20:30 को सत्र 2016–17 से सलंग्नकों के अनुसार अपना अनुमोदन प्रदान किया।

यथा स्थान प्रस्तुत मदें:–

मद संख्या 1:–वाणिज्य संकाय की दिनांक 01.06.2017 में मद संख्या VI में Realignment of Curriculum for B.Voc in Retail Management and Hospitality & Tourism के पाठयक्रम (Ist sem. and IInd sem.) को सत्र 2017–18 महाविद्यालयों में चलाया जाना है तथा मद संख्या VII में संशोधनों को पारित किया गया इसके अतिरिक्त सत्र 2016–17 में अधिसूचित उपरोक्त पाठयक्रम को निरस्त करने तथा विश्वविद्यालय की website से हटाने सम्बन्धी मामला शैक्षणिक परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

......

शैक्षणिक परिषद के समक्ष अधिष्ठाता वाणिज्य एवं प्रबन्धन संकाय ने उपरोक्त मामले में विस्तारपूर्वक चर्चा कर परिषद को अवगत करवाया तथा परिषद द्वारा चर्चा उपरान्त प्रस्तावित Realignment of Curriculum for B.Voc in Retail Management and Hospitality & Tourism के पाठयक्रम (Ist sem. and IInd sem.) अपना अनुमोदन प्रदान किया तथा सत्र 2017–18 से लागू करने का निर्णय लिया एवं प्रस्तावित अध्यादेश के संशोधनों को संलग्नको सहित अनुमोदन प्रदान कर कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ हेतु रखने की सिफारिश की।

इसके अतिरिक्त अधिष्ठाता वाणिज्य संकाय ने शैक्षणिक परिषद के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया कि उपरोक्त पाठयकम को पूर्व में शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति अपनी बैठक दिनांक 06.09.2016 को मद संख्या 1 के अर्न्तगत अपना अनुमोदन प्रदान करने उपरान्त शैक्षणिक शाखा द्वारा पाठयकम को अधिसूचना संख्या 6–38/2016 (B.Voc.)-HPU (Acad) दिनांक 23.09.2016 को अधिसूचित कर 16 राजकीय महाविद्यालयों को प्रेषित कर दिया गया था जिसे अब प्रस्तावित पाठयकम के अनुसार निरस्त व वापिस लिया जाना है तथा साथ ही इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धितों को भी सूचित किया जाए।

उप कुलसचिव (शैक्षणिक)
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
शिमला – 171005

<u>मद संख्या 2:–</u> वाणिज्य एवं प्रबन्धन संकाय की 01.06.2017 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्य विवरण को शैक्षणिक परिषद में चर्चा एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

....

शैक्षणिक परिषद ने अधिष्ठाता वाणिज्य एवं प्रबन्धन संकाय की बैठक दिनांक 01.06.2017 में प्रस्तावित मद संख्या III तथा बिन्दु "क" के अनुसार वाणिज्य अध्ययन मण्डल द्वारा 24.03.2017 की बैठक में मद संख्या–III में पारित किए गए वाणिज्य स्नातक (सी.बी.सी.एस.) व वाणिज्य स्नातक आनर्ज (सी.बी.सी.एस.) के परीक्षा पत्र की विधि, प्रथम व द्वितीय सत्र के पाठयक्रमों को संलग्नकों के अनुसार सत्र 2017–18 से लागू करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त बिन्दु "ख" में प्रस्तावित रूसा (सी.बी.सी.एस.) हॉबी विषय लीडरशिप स्टाईल –327, के कुल अंक 2017 से 25 अंक (15:10) जिसे प्रबन्धन संकाय की मद संख्या–V में पारित किया गया को संलग्नकों सहित अपना अनुमोदन प्रदान किया।

<u>मद संख्या 3:–</u> माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करने के बाद निम्न विषयों में की गई कार्रवाई शैक्षणिक परिषद के समक्ष नोट करने हेतु प्रस्तुत है।

....

शैक्षणिक परिषद ने शैक्षणिक परिषद की 25 मार्च 2003 और 13 नवम्बर 2003 की बैठकों मे मद संख्या 14 और 13 द्वारा प्राधिकृत किए जाने के उपरान्त विश्वविद्यालय के सभी संकायो की 01.05.2016 से 30.06.2017 तक सभी स्नातक व स्नातकोतर परीक्षाएं उतीर्ण करने वाले पात्र विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान करने बारे लिए निर्णय गए निर्णय को अनुमोदित कर नोट किया।

<u>मद संख्या 4:–</u> To place before the Standing committee of the Academic Council the matter regarding the request of Anshul Garg, a student of B.Tech (Electronics & Communication Engg.) ITTT College of Engg. Kala Amb (H.P.) of 2002-2006 session addressed to Hon'ble Vice-Chancellor to get Golden Chance (on Medical Ground) for completion of B.Tech. Degree.

......

शैक्षणिक परिषद ने अंशुल गर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर चर्चा कर सहमति प्रदान की तथा छात्र के भविष्य को मददेनजर रखते हुए छात्र को बी.टैक. की उपाधि पूर्ण करने हेतु चिकित्सीय आधार पर एक विशेष अवसर रू. 20,000/– शुल्क के साथ प्रदान करने को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

<u>मद संख्या 5:–</u> विज्ञान निष्णात सूक्ष्म जीव विज्ञान की छात्रा मीनाक्षी माजटा सुपुत्री श्री सन्त राम माजटा स0 5739 को अपनी विज्ञान की उपाधि छः साल में उतीर्ण न होने के उपरान्त परीक्षा में बैठने के लिए एक विशेष अवसर प्रदान करने के लिए समस्त विषय शैक्षणिक परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

उप-कुलसचिव (शैक्षणिक)
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय

शैक्षणिक परिषद ने परीक्षा शाखा –II द्वारा प्रस्तुत की गई मद पर विस्तार से चर्चा की तथा छात्रा के भविष्य को मददेनजर रखते हुए सूक्ष्म जीव विज्ञान की उपाधि उत्तीर्ण करने हेतु एक विशेष अवसर रू. 20,000/– शुल्क के साथ आगामी होने वाली परीक्षाओं मे प्रदान करने को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या 6:– शैक्षणिक परिषद के समक्ष राजनीति शास्त्र विभाग में विदेशी छात्रों के लिए Course-XIII (Democratic Theory or Modern Indian Political Thought) के स्थान पर Dissertation/Thesis में उपस्थित होने के लिए Board of Studies (PG) की बैठक दिनांक 3.5.2017 तथा सामाजिक विज्ञान संकाय की बैठक 12.5.2017 (Through circulation) में प्रस्तुत की गई तथा सिफारिशानुसार माननीय कुलपति महोदय जी प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना अनुमोदन प्रदान किया तथा विभाग द्वारा इस विषय पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर ली गई है। अतः शैक्षणिक परिषद की बैठक में नोट करने हेतु प्रस्तुत है।

......

शैक्षणिक परिषद ने राजनीति शास्त्र विभाग द्वारा सत्र 2015 में प्रवेशित विदेशी छात्रों के लिए चतुर्थ सत्र में Course-XIII (Democratic Theory or Modern Indian Political Thought) के स्थान पर Dissertation/Thesis विषय निर्धारित किया गया तथा माननीय कुलपति महोदय जी से अनुमोदन उपरान्त सम्बन्धित विभाग द्वारा वांछित कार्रवाई सुनिश्चित कर ली गई है जिसे शैक्षणिक परिषद ने नोट कर अनुमोदित किया।

मद संख्या 7:– शैक्षणिक परिषद के समक्ष लोक प्रशासन विभाग में विदेशी छात्र के लिए Course-XVI (Labour & Industrial Relations) के स्थान पर Dissertation/Project Report में उपस्थित होने के लिए Board of Studies (PG)की बैठक दिनांक 2.5.2017 तथा संकाय की बैठक दिनांक (Through circulation) 12.5.2017 में प्रस्तुत की गई सिफारिशानुसार माननीय कुलपति महोदय जी प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना अनुमोदन प्रदान किया तथा विभाग द्वारा इस विषय पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर ली गई है। अतः शैक्षणिक परिषद की बैठक में नोट करने हेतु प्रस्तुत है।

....

शैक्षणिक परिषद ने लोक प्रशासन विभाग द्वारा सत्र 2015 में प्रवेशित विदेशी छात्रों के लिए चतुर्थ सत्र में Course-XVI (Labour & Industrial Relations) के स्थान पर Dissertation/Project Report विषय निर्धारित किया गया तथा माननीय कुलपति महोदय जी से अनुमोदन उपरान्त सम्बन्धित विभाग द्वारा वांछित कार्रवाई सुनिश्चित कर ली गई है जिसे शैक्षणिक परिषद ने नोट कर अनुमोदित किया।

मद संख्या 8– महाविद्यालयों के विद्यार्थी रूसा प्रणाली के अंतर्गत अपनी अंतिम समैस्टर परीक्षा में तभी उतीर्ण घोषित किए जाते है जब वे किसी भी विषय में

उप कुलसचिव (शैक्षणिक)
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
शिमला – 171005

Internal Assesment तथा अतिम परीक्षा में कुल मिलाकर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करते है। यदि कोई विद्यार्थी के किसी कारण Internal Assesment में वांछित अंक प्राप्त नहीं करता तो उसे अतिम समैस्टर में अनुर्तीण (fail) घोषित किया जाता है। जब वह विद्यार्थी उसी विषय की supplementary/reappear परीक्षा देता है तो उसके Internal Assesment में वाछित अंक न होने के कारण वह कभी भी अपनी उस विषय की परीक्षा उर्तीण (Pass) नहीं कर सकता। अतः शैक्षणिक परिषद की बैठक में यह अनुरोध किया जाता है कि supplementary/reappear परीक्षा में Internal Assesment के अंक ना जोडें जाए अपितु supplementary/reappear परीक्षा कुल 70 अंकों के स्थान पर 100 अंको की ली जानी चाहिए ताकि विद्यार्थी अपने स्नातक स्तर की डिग्री प्राप्त कर सके।

......

शैक्षणिक परिषद ने मामले में विस्तारपूर्वक चर्चा की और सर्वसम्मति से उपरोक्त मामले में एक निम्न समिति का गठन करने का निर्णय लिया :

1.	अधिष्ठाता अध्ययन हि.प्र.वि. शिमला–5.	अध्यक्ष
2.	परीक्षा नियंत्रक हि.प्र.वि. शिमला–5.	सदस्य
3.	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय जुखाला, जिला बिलासपुर, हि.प्र.।	सदस्य
4.	अधिष्ठाता, विधि संकाय हि.प्र.वि. शिमला–5.	सदस्य
5	सहायक कुलसचिव परीक्षा(स्नताक स्तर) हि.प्र.वि. शिमला–5.	सदस्य सचिव

मद संख्या 9:– **To place before the Academic Council the matter with regard to weightage of 10 marks to the GATE qualificed candidates as per new norms of UGC Regulations 2016 adopted by H.P. University for admission to PH.D. course.**

....

शैक्षणिक परिषद ने प्रस्तुत मामले में विस्तारपूर्वक चर्चा कर उक्त प्रकरण को अधिष्ठाता समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 10:– हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रथम अध्यादेश के प्रावधान 15 में सम्मिलित करने मामला शैक्षणिक परिषद में प्रस्तुत करने बारे।

......

कार्यकारिणी परिषद की बैठक दिनांक 27.01.2017 की मद संख्या 17 के अन्तर्गत लिए गए निर्णय के अनुसार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान, लोक–प्रशासन, अर्थशास्त्र तथा भूगोल विषय में सेना अधिकारियों के लिए एम.फिल कोर्स में

प्रवेश सम्बन्धी अध्यादेश के अध्याय 15 में प्रस्तावित संशोधनों को शैक्षणिक परिषद ने चर्चा कर संलग्नकों के अनुसार अपना अनुमोदन प्रदान किया व कार्यकारिणी परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति प्रदान की।

मद संख्या 11:– To place before the Academic Council, the recommendations made by the Department Council for consideration and further recommendation/approval

....

उपरोक्त मामले को शैक्षणिक परिषद ने अस्वीकार किया।

यथा स्थान परिषद के समक्ष कुछ माननीय सदस्यों ने स्नातक स्तर की परीक्षाओं में पुनः मूल्याकंन प्रकिया प्रारम्भ किए जाने बारे मुददा उठाया तथा साथ ही मूल्याकन प्रकिया में सुधार करने हेतु भी चर्चा की गई और यह निर्णय लिया गया कि परीक्षा नियंत्रक इस मामलें में गहनतापूर्वक परीक्षण कर अपनी अनुसंशाए माननीय कुलपति महोदय जी के समक्ष प्रस्तुत करें।

शैक्षणिक परिषद के समक्ष विभागाध्यक्ष, भूगोल द्वारा प्रस्तुत किया गया कि स्नातक स्तर के भूगोल (ऑनर्स) के तृतीय से छठे सत्र के पाठ्यक्रम जो कि सत्र 2017–18 से लागू होना अनिवार्य है Board of Studies द्वारा पारित कर दिया गया है परन्तु सम्बन्धित संकाय से अनुमोदित नही हुआ है शैक्षणिक परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया जिस पर शैक्षणिक परिषद द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम को इस शर्त के साथ अनुमोदित किया कि प्रस्तावित पाठयक्रम को सम्बन्धित संकाय से अनुमोदित करवा लिया जाए।

इसके अतिरिक्त शैक्षणिक परिषद ने भू–विज्ञान (Geology) के प्रथम से छठे सत्र के पाठयक्रम को सत्र 2016–17 से इस शर्त के साथ अपना अनुमोदन प्रदान किया कि प्रस्तावित पाठयक्रम को पाठय समिति व संकाय समिति से भी अनुमोदन करवा लें।

अधिष्ठाता सामाजिक विज्ञान संकाय ने शैक्षणिक परिषद को अवगत करवाया कि गृह विज्ञान (Home-Science) की मार्क्स स्कीम 20:50:30 जो कि सत्र 2016–17 से लागू किया जाना वांछनीय है, वह पाठ्यसमिति (Board of Studes) से अनुमोदित हो गया है तथा जल्द ही संकाय से भी पारित करवा लिया जायेगा जिस पर परिषद ने इस शर्त के साथ अपना अनुमोदन प्रदान किया कि प्रस्तावित मार्क्स स्कीम को सम्बन्धित संकाय से अनुमोदित करवाया जाए।

उप-कुलसचिव (शैक्षणिक)
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
शिमला-171005

अन्त में कुलसचिव महोदय, सदस्य सचिव शैक्षणिक परिषद द्वारा माननीय कुलपति महोदय तथा शैक्षणिक परिषद के समस्त सदस्यों का बैठक में विभिन्न मदों पर विस्तारपूर्वक तथा सार्थक चर्चा करने हेतु आभार व्यक्त करते हुए बैठक का समापन किया।

(डॉ. पंकज ललित)
कुलसचिव,
सदस्य सचिव, शैक्षणिक परिषद
हि0प्र0वि0वि0 शिमला–5.

अनुमोदित

(आचार्य राजेन्द्र सिंह चौहान)
माननीय कुलपति महोदय,
अध्यक्ष, शैक्षणिक परिषद
हि0प्र0वि0वि0 शिमला–5.

शैक्षणिक परिषद् की दिनांक 23.12.1994 की बैठक में मद संख्या 19 के अर्न्तगत गठित स्थायी समिति की दिनांक 24.10.2017 अपराहन 2.30 बजे हुई बैठक की कार्यवाही।

शैक्षणिक परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.10.2017 को अपराहन 2.30 बजे आचार्य (श्रीमती) गिरिजा शर्मा, अधिष्ठाता अध्ययन एवं संयोजक की अध्यक्षता में समिति कक्ष, कुलपति कार्यालय में आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

1. आचार्य, एस.एस. नारटा कुलसचिव हि.प्र.वि.वि. शिमला–5.
2. आचार्य, (श्रीमती) कौशल्या चौहान, अधिष्ठाता, भाषा संकाय।
3. आचार्य, कुलवंत सिंह पठानिया, अधिष्ठाता, वाणिज्य एंव प्रबन्धन संकाय।
4. आचार्य, सुषमा शर्मा, अधिष्ठाता, जीव विज्ञान संकाय।
5. आचार्य, हिम चटर्जी, अधिष्ठाता, मंच एवं दृश्यकला संकाय।
6. आचार्य, कमलजीत सिंह, अधिष्ठाता, विधि संकाय।
7. आचार्य, सुदर्शना राणा, अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय।
8. आचार्य, डी.के. शर्मा, अधिष्ठाता, भौतिक संकाय।
9. आचार्य,, वाई. के. गुप्ता, हि.प्र.वि.वि. बिजनैस स्कूल, शिमला–5.
10. आचार्य, रमेश चौहान, राजनीति शास्त्र विभाग, हि.प्र.वि.वि. शिमला–5.

अध्यक्ष, शैक्षणिक परिषद् की स्थायी समिति ने सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी सम्माननीय सदस्यों का अभिनन्दन किया और बैठक में प्रस्तुत की जाने वाली सभी मदों में अपना बहुमूल्य योगदान देने का आग्रह किया। अध्यक्ष महोदया ने समिति के समक्ष शैक्षणिक परिषद की नियमित बैठक दिनांक 03.08.2017 में यथा स्थान प्रस्तुत मद संख्या 9 के अर्न्तगत लिए गए निर्णयानुसार सम्बन्धित मामले को अघिष्ठाता समिति की बैठक दिनांक 19.09.2017 को मद संख्या 2 मे प्रस्तुत किया गया तथा अधिष्ठाता समिति ने सर्वसम्मति से GATE पास अभ्यार्थियों को पी.एच.डी. प्रवेश परीक्षा में 20 अंक की प्राथमिकता (weightage) देने का निर्णय लिया जिसे स्थायी समिति ने अपना अनुमोदन प्रदान किया। इसके उपरान्त सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक) ने शैक्षणिक परिषद की स्थाई समिति के समक्ष चर्चा व निर्णय हेतु निम्न मदों को प्रस्तुत किया :

मद संख्या 1:– हिंमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विधि संकाय के विधि विभाग में सत्र 2017–18 के लिए संशोधित एल.एल.एम. एक वर्षीय कोर्स के पाठयक्रम को आरम्भ करने के अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ शैक्षणिक परिषद की Standing Committee के समक्ष प्रस्तुत।

....

शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति को उपरोक्त मामले में अधिष्ठाता, विधि संकाय द्वारा विस्तापूर्वक वस्तुस्थिति से अवगत करवाया और प्रस्तुत किया कि प्रदेश के पड़ोसी विश्वविद्यालयों व राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में भी एक वर्षीय एल.एल.एम. कोर्स चलाया जा रहा है और छात्रों की मांग पर सम्बन्धित विभाग ने उक्त प्रकरण को विधि विभाग की Board of Studies की बैठक दिनांक 09.09.2017 व संकाय समिति की बैठक दिनांक 25.09.2017 में प्रस्तुत किया जिसकी सिफारिशों का अवलोकन कर समिति ने सर्वसम्मति से एल.एल.एम. दो वर्ष के स्थान पर एल.एल.एम. एक वर्षीय कोर्स करने एवं प्रस्तावित पाठयक्रम को संलग्नको के अनुसार सत्र 2017–18 से आरम्भ करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया।

उप-कुलसचिव (शैक्षणिक)
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
शिमला - 171005

मद संख्या 2:– हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के व्यवसायिक अध्ययन संस्थान (पर्यटन) में स्नातक स्तरीय अध्ययन समिति (B.O.S. U.G) व स्नातकोतर स्तरीय अध्ययन समिति (B.O.S. P.G) के विभिन्न मदों को वाणिज्य ऐवम प्रबन्धन संकाय समिति (Faculty of commerce and Management) दवारा अनुमोदित किया गया जो कि शैक्षणिक परिषद की स्थाई समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

....

शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति ने वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय की दिनांक 22.09.2017 की बैठक में की गई निम्न सिफारिशों को संलग्नकों सहित अनुमोदित किया:

1. पंचवर्षीय एकीकृत पाठयक्रम, पर्यटन एवं यात्रा प्रबन्धन (FYICTTM) के स्नातक भाग व तीन वर्षीय होटल प्रबन्धन (BHM) में सत्र 2017–18 से प्रथम समैस्टर में पर्यावरण विज्ञान पाठयक्रम पढानें का निर्णय लिया।
2. पंचवर्षीय एकीकृत पाठयक्रम, पर्यटन एवं यात्रा प्रबन्ध स्नातक भाग के पाठयक्रम के कोड (Course Code) BTA के बजाय BTM को अनुमोदित किया गया।
3. दो वर्षीय स्नातकोत्तर पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन तथा पंचवर्षीय एकीकृत पाठयक्रम के स्नातकोत्तर भाग के पाठ्यक्रम कोड (Course Code) MTA से MTM अनुमोदित किया।
4. प्रस्तावित अध्यादेश 10.50 व 10.52 में संशोधन को अनुमोदित कर कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 3:– शैक्षणिक परिषद के समक्ष अर्थशास्त्र विभाग में विदेशी छात्रों के लिए चतुर्थ सत्र में कोर्स–X (Indian Economy) के स्थान पर Dissertation/Project Report में उपस्थित होने के लिए Board of Studies (PG) की बैठक दिनांक 06 जून 2017 तथा संकाय की बैठक दिनांक (Through circulation) 22 जून 2017 में प्रस्तुत की गई सिफारिशानुसार माननीय कुलपति महोदय जी ने प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना अनुमोदन प्रदान किया तथा विभाग द्वारा इस विषय पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर ली गई है। अतः शैक्षणिक परिषद् की बैठक में नोट करने हेतु प्रस्तुत है।

....

शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति ने अर्थशास्त्र विभाग में विदेशी छात्रों के लिए चतुर्थ सत्र में कोर्स–X (Indian Economy) के स्थान पर Dissertation/Project Report में उपस्थित होने के लिए Board of Studies (PG) की बैठक दिनांक 06 जून 2017 एवं सामाजिक विज्ञान संकाय की बैठक दिनांक (Through circulation) 22 जून 2017 की सिफारिशों के अनुसार माननीय कुलपति महोदय जी ने प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना अनुमोदन प्रदान किया था जिसे शैक्षणिक परिषद् की स्थायी समिति ने अनुमोदित कर नोट किया।

मद संख्या 4:– Syllabus of M.Com., M.Phil (Commerce) and Ph.D (Commerce) Entrance Examination, approved by Board of Studies (PG) Commerce, to be implemented from the upcoming Session 2018, is submitted for recommendation and approval of the Standing Committee of Academic Council.

उप – कुलसचिव (शैक्षणिक)
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
शिमला – 171005

शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति ने वाणिज्य विभाग की पाठ्य समिति की बैठक दिनांक 08.09.2017 एवं वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय की बैठक दिनांक 22.09.2017 में की गई सिफ़ारिशों के अनुसार एम. कॉम का पाठयक्रम सत्र 2018–19 से, एम.फिल कॉमर्स का पाठयक्रम सत्र 2017–18 से एवं पी.एच.डी. के प्रवेश परीक्षा का पाठयक्रम सत्र 2018–19 से लागू करने को अपना अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया कि उपरोक्त तीन पाठयक्रमों को अधिसूचित करने से पूर्व समस्त पुस्तकों के रैफरैन्स (reference) को अपडेट किया जाना अनिवार्य है, **यदि वांछिनीय है** तो उचित कार्रवाई करने उपरान्त विभागाध्यक्ष, वाणिज्य प्रस्तावित पाठयक्रमों की तीन सत्यापित प्रतियां तथा 30 सामान्य प्रतियां व प्रत्येक पाठ्यक्रम की साफ़्ट कॉपी (Soft Copy) भी शैक्षणिक शाखा को अधिसूचित करने हेतु प्रेषित की जाए।

यथा स्थान प्रस्तुत मदें:–

मद संख्या 1:– हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विजनेस स्कूल (MBA) में स्नातक स्तरीय अध्ययन समिति (B.O.S P.G.) के विभिन्न मदों को (Faculty of commerce and Management) द्वारा अनुमोदित किया गया है जो कि शैक्षणिक परिषद की स्थाई समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

......

शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति ने वाणिज्य एवं प्रबन्धन संकाय की बैठक दिनांक 21.09.2017 में मद संख्या 8 व 9 में की गई सिफारिशों का संलग्नकों सहित अवलोकन करने के उपरान्त प्रस्तावित एम.बी.ए. व पी.एच.डी पाठ्यक्रम व स्कीम को शैक्षणिक सत्र 2018 से लागू करने हेतु अपना अनुमोदन प्रदान किया।

अन्त में अध्यक्ष महोदया ने सभी सदस्यों का आभार प्रकट कर बैठक का समापन किया।

(डॉ. हेम राज शर्मा) 25/10/2017
सहायक कुलसचिव (शै.)

पुष्टिकरण
Girija Sharma
अधिष्ठाता अध्ययन
25.10.17

अनुमोदित

माननीय कुलपति महोदय

उप-कुलसचिव (शैक्षणिक)
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
शिमला - 171005